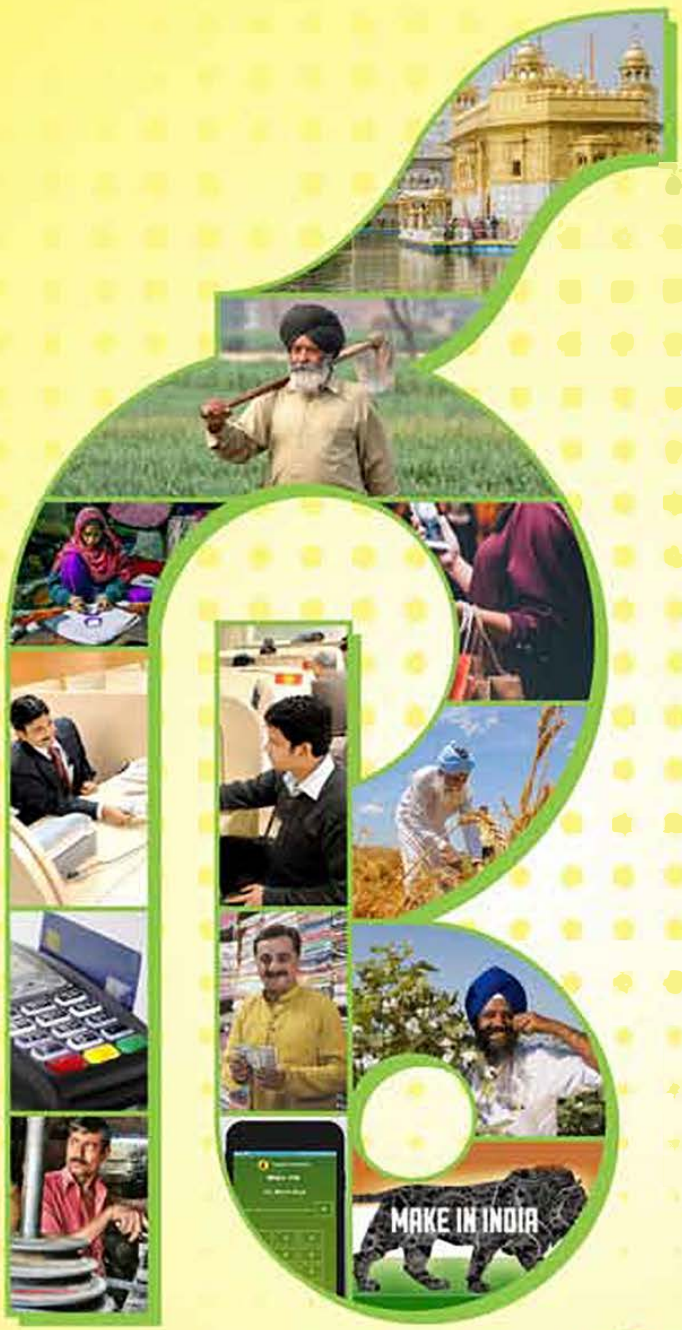


वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2019-20

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors



अध्यक्ष / Chairman
डॉ. चरन सिंह / Dr. Charan Singh



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
श्री एस. हरिशंकर / Sh. S Harisankar



कार्यकारी निदेशक / Executive Director
डॉ. फरीद अहमद / Dr. Fareed Ahmed



कार्यकारी निदेशक / Executive Director
श्री गोविंद एन डोंग्रे / Sh. Govind N Dongre



श्री एस. आर. मेहर
Sh. S. R. Mehar



श्री बी.पी. विजयेन्द्र
Sh. B.P. Vijayendra



श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता
Sh. T.R. Mendiratta



श्री हर्ष बीर सिंह
Sh. Harsh Bir Singh



श्री एस.आर. घेडीया
Sh. S.R. Ghedia



श्री मधु सूदन दादू
Sh. Madhu Sudan Dadu

विषय–सूची / Contents

		पृष्ठ संख्या / Page No.
1.	उल्लेखनीय तथ्य / Highlights	2
2.	निदेशक मंडल / Board of Directors	3
3.	नोटिस / Notice	4-29
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट / Directors' Report	30-45
5.	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट / Secretarial Audit Report	46-49
6.	कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट / Corporate Governance Report	50-109
7.	व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट / Business Responsibility Report	110-135
8.	बासल–II व बासल–III के अंतर्गत प्रकटीकरण / Disclosure under Basel - II & Basel - III	136-221
9.	वित्तीय विवरणियां / Financial Statements:	
	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	222-235
	तुलन–पत्र / Balance Sheet	236-237
	लाभ–हानि खाता / Profit & Loss Account	238-241
	अनुसूचियाँ / Schedules	242-315
	नकदी प्रवाह विवरण–पत्र / Cash Flow Statement	316-319
10.	घोषणा का प्रारुप (उम्मीदवार द्वारा)/नामांकन फार्म Format of Declaration (By Candidate)/Nomination Form	320-329

उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

रुपए लाखों में / Rupees. in lacs
दिनांक 31.03.2020 को / As on 31.03.2020

1. जमा Deposits	8966755
2. सकल अग्रिम Gross Advances	6256420
3. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	2787160
4. सकल निवेश Gross Investments	2494638
5. परिचालन लाभ Operating Profit	109691
6. शुद्ध लाभ Net Profit	(-)99080
7. आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	(-)0.91%
8. शुद्ध एन.पी.ए. अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	8.03%
9. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल–III) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-III)	12.76%

बोर्ड निदेशक / Board of Directors

अध्यक्ष / Chairman
डॉ. चरन सिंह / Dr. Charan Singh

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी / Managing Director & Chief Executive Officer
श्री एस. हरिशंकर / Sh. S Harisankar

कार्यकारी निदेशक / Executive Director
डॉ. फरीद अहमद / Dr. Fareed Ahmed

कार्यकारी निदेशक / Executive Director
श्री गोविंद एन डोंग्रे / Sh. Govind N Dongre

निदेशक / Directors

श्री एस. आर. मेहर
Sh. S. R. Mehar

श्री बी.पी. विजयेन्द्र
Sh. B.P. Vijayendra

श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता
Sh. T.R. Mendiratta

श्री हर्ष बीर सिंह
Sh. Harsh Bir Singh

सीए, एस.आर. घेडीया
CA, S.R. Ghedia

श्री मधु सूदन दादू
Sh. Madhu Sudan Dadu

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer

श्री अमब्रीश कुमार मिशरा
Sh. Ambrish Kumar Mishra

महाप्रबंधक / General Managers

श्रीमती हरविन्द्र सचदेव
Smt. Harvinder Sachdev

श्री जयंत कुमार नायक
Sh. Jayanta Kumar Nayak

श्री राजीव रावत
Sh. Rajiv Rawat

लेखा परीक्षक / Auditors

मैसर्स एस. मान एण्ड कं.
M/s S. Maan & Co.

मैसर्स बलदेव कुमार एण्ड कं.
M/s Baldev Kumar & Co.

मैसर्स सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएटस
M/S Suresh Chandra & Associates

मैसर्स राज गुप्ता एण्ड कं.
M/S Raj Gupta & Co.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालयः 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

ई-मेलः **www.psbindia.com**

नोटिस

एतद् द्वारा यहां सूचना दी गई है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 11 अगस्त, 2020 को सुबह 10 बजे से निम्नलिखित कार्यों को संपादित करने के लिए आयोजित की जाएगी:

मद संख्या

1. 31 मार्च 2020 तक बैंक की लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि खाते, तुलन पत्र और लेखा पर लेखा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट द्वारा सम्मिलित की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अपनाने के लिए।

   विचार करने और विचार करने पर उपयुक्त होने पर, निम्नलिखित प्रस्ताव को पारित करने के लिए :

   "संकल्पित किया गया कि 31 मार्च 2020 तक बैंक की लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि खाते, तुलन पत्र और लेखा पर लेखा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट द्वारा सम्मिलित की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट है और इसे एतदद्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।"

2. बैंक कंपनियों (केंद्र सरकार के अलावा) के शेयरधारकों के बीच में से दो निदेशकों का चुनाव करने के लिए, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (i) के संदर्भ में (बाद में "अधिनियम" के रूप में जाना जाता है) ") के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद" बीआर अधिनियम "के रूप में संदर्भित) को पढ़ते हुए और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 (इसके बाद" योजना "के रुप में संदर्रभित हो) और पंजाब एंड सिंध बैंक (शेयर व बैठके) विनियम, 2008 (इसके बाद "पीएसबी विनियम" के रूप में संदर्भित) ने बैंकिंग कंपनियों की धारा 19 (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के अनुरूप बनाया और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांकित 20.08.2019 अधिसूचना सं.डीबीआर.एपीपीटी सं.9/29.67/.001/2019 (इसके बाद "आरबीआई अधिसूचना" के रूप में संदर्भित) और भारत की मौजूदा सरकार (भारत सरकार) के दिशानिर्देश।

   विचार करने और विचार करने पर उपयुक्त होने पर, निम्न संकल्प को संशोधन के साथ या उसके बिना स्वीकृत की जाती है:-

   "संकल्पित किया जाता है कि केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच से चुने गए दो निदेशक, अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अनुसरण में जिसे योजना और विनियमों के रुप में पढा गया, चुने गए हैं, वे इस पद के लिए एतद् द्वारा इस पदभार को परिणामों की घोषणा के बाद के दिन से और इस तरह की धारण की तारीख से तीन साल की अवधि के पूरा होने तक कार्यालय का संचालन करने के लिए बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं ।

बोर्ड के निदेशकों के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17.07.2020

एस हरिशंकर

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)
Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008
www.psbindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Tenth Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held through Video Conferencing (VC) / or Other Audio Visual Means (OAVM) on Tuesday, the 11th August, 2020 at 10.00 a.m. to transact the following business:

Item No.

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2020, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2020, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

   To consider and if thought fit, to pass the following Resolution:

   "**RESOLVED THAT** the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2020, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2020, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts be and are hereby approved and adopted."

2. To elect **TWO** Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than Central Government), in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as "**Act**") read with The Banking Regulations Act, 1949 (hereinafter referred to as "**B R Act**") and The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "**Scheme**") and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as "**PSB Regulations**") made pursuant to Section 19 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Notification No. DBR.Appt.No.9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 issued by Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "**the RBI Notification**") and the extant Government of India (GOI) Guidelines.

   To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution:-

   "**RESOLVED THAT TWO Directors** elected from amongst shareholders other than Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme and Regulations made there under, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from the day after the declaration of results and to hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption."

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 17.07.2020

S Harisankar
MD & CEO

टिप्पणियां

1. विडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है और सामाजिक दूरी मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 05.05.2020 के साथ पठित एमसीए (कंपनी मामलों के मंत्रालय) परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08.04.2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13.04.2020 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12.05.2020 के अनुसरण में कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक के आयोजन की अनुमति है।

उक्त प्रावधानों के अनुपालन में विडियों कॉफ्रेसिंग (वीसी) के माध्यम से बैंक के वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन किया जा रहा है। दसवें एजीएम के लिए मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2008 के विनियम 58 के अंतर्गत कार्यवाह संख्या की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर-धारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगा/होगी तथा प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन के लिए पूर्वोक्त छूटों के अनुसार, शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति अनावश्यक बनाया गया है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है तथा प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थिति पर्ची इस नोटिस में संलग्न नहीं है।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी निगमित निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा/या ई-वोटिंग के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कंपनी/इकाई के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रमाणित प्रति बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 06 अगस्त, 2020 को अपराह्न 05:00 बजे या इससे पहले प्रधान कार्यालय, 21- राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली -110008 में जमा नहीं हो जाता या संवीक्षक को deepak@drassociates.org पर मेल द्वारा नहीं भेजा जाता है जिसकी प्रतिलिपि complianceofficer@psb.co.in को भेजा जाना है।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. शेयरधारकों के रजिस्टर का संवरण :

वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बुक, बुधवार 05.08.2020 से मंगलवार, 11.08.2020 तक (दोनों दिवस सम्मिलित) बंद रहेगा।

5. व्याख्यात्मक विवरणी :

निदेशकों के चुनाव से संबंधित नोटिस की मद संख्या 2 के संबंध में वास्तविक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण नीचे दिया गया है।

कार्यसूची मद संख्या 2 के संबंध में वास्तविक तथ्यों को समायोजित करने वाले व्याख्यात्मक विवरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, अन्य बातों के साथ-साथ उपलब्ध कराता है कि अधिनियम (केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त) की धारा 3 की उपधारा (2बी) की शर्त (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी 16% से अधिक है लेकिन प्रदत्त पूंजी के 32% से अधिक नही है, शेयरधारकों को अपने मध्य से दो निदेशकों का चुनाव करने का अधिकार है।

दिनांक 31.03.2020 को बैंक की प्रदत्त ईक्वटी शेयर पूंजी रू. 701.05 करोड़ थी जिसमें भारत सरकार की 83.06% तथा अन्य के पास 16.94% की धारिता है। धारा 9(3) (i) के पैरा (II) के प्रावधान के अनुसार, बैंक को निदेशक मंडल में शेयरधारकों के अपने बीच में से चुने गए दो शेयरधारक निदेशकों को रखना अनिवार्य हैं। दिनांक 29.06.2017 को शेयरधारकों के मध्य से तीन वर्ष की अवधि हेतु चुने गए दो निदेशक अपना कार्यकाल दिनांक 30.06.2020 को पूर्ण कर लेंगे।

निदेशक मंडल ने दिनांकित 16.07.2020 की अपनी बैठक में शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों (केंद्र सरकार के अतिरिक्त) को बैंक की वार्षिक सामान्य बैठक में चुनावी प्रक्रिया के तहत नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

निदेशक जो चुना जाएगा, दिनांक 14.08.2020 से कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेगा तथा तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर बना रहेगा।

NOTES

1. ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING

In view of the outbreak of COVID-19 pandemic, there is restriction on the movement and the need to observe social distancing norms. Pursuant to Securities & Exchange Board of India (SEBI) circular no SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 read with MCA (Ministry of Corporate Affairs) Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, permitting holding of AGM through VC/OAVM for the calendar year 2020.

In compliance with the above provisions, Annual General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC). The deemed venue for the 10th AGM shall be the Head Office of the Bank. Shareholders attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2008.

2. APPOINTMENT OF PROXIES: A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. However, in accordance with the aforesaid relaxations for convening of the AGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by shareholders is not available for this AGM and the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this notice.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):

No person shall be entitled to attend the meeting through VC / OAVM and / or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative of a company/entity is deposited at Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008 or has been sent by email to the scrutinizer at deepak@drassociates.org with copy marked to complianceofficer@psb.co.in not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on 06th August 2020.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as the Authorised Representative of a shareholder.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank, will remain closed from Wednesday, August 05, 2020 to Tuesday, August 11, 2020 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

5. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 2 of the Notice regarding Election of Directors is annexed below.

Explanatory statements setting out the material facts in respect of agenda item No. 2

The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, *inter alia*, provides that where the capital issued under Clause (C) of sub section (2 B) of Section 3 of the Act (other than to the Central Government), is more than 16% but not more than 32% of the total paid up capital, the Shareholders would be entitled to elect two directors from amongst themselves.

The paid up equity share capital of the Bank as on 31.03.2020 was Rs.701.05 crore of which 83.06% is held by the Govt. of India while 16.94% is held by others. In view of provisions in Para (II) of Section 9(3) (i), the Bank is required to have two directors on Board of Directors to be elected by the Shareholders from amongst themselves. Two directors elected on 29.06.2017 from amongst the shareholders, for a period of three years, have completed their term on 30.06.2020.

The Board of Directors in their meeting dated 16.07.2020 has decided to appoint two directors from amongst shareholders (other than the Central Government), through the process of election at the Annual General Meeting of the Bank.

A Director, so elected, shall be deemed to have assumed office from 14.08.2020 and will hold office for a period of three years.

6. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान

I. सेबी (सूचीयन तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) अधिनियम 2015, एमसीए परिपत्रों के साथ पठित संशोधित कंपनी नियम 2015 द्वारा यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अंतर्गत शेयर बाज़ारों के साथ सूचीयन करार तथा प्रावधानों के अनुसरण में बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम में सरोकार करने के संबंध में अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। ई-वोटिंग के माध्यम शेयरधारकों के मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ डेट (निर्धारित तिथि) मंगलवार, 04.08.2020 है।

II. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करके बैठक प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पूर्व तथा पश्चात वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक इत्यादि जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार की शर्तों के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति है, शामिल नहीं होंगे।

III. दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं :

i. दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 08.08.2020 (पूर्वाह्न 10:00 बजे) को प्रारंभ होगी और सोमवार, 10.08.2020 (अपराह्न 05:00 बजे) समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक जिसके पास अंतिम निर्धारित तिथि मंगलवार, 04.08.2020 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अपना मतदान ईलैक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दी जाएगी।

ii. शेयरधारक जिन्होनें बैठक तिथि से पूर्व मतदन कर दिया है, बैठक स्थान पर मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

iii. शेयरधारकों को ई.वोटिंग साईट www.evotingindia.com पर मतदान हेतु लॉग ऑन करना चाहिए।

iv. "शेयरधारक" मॉड्यूल पर क्लिक करें।

v. अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें ।

a. सीडीएसएल हेतु : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी

b. एनएसडीएल हेतु : 8 अक्षरों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी

c. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।

या

विकल्पत:, यदि आप सीडीएसएल की ईएएसआई/ईएएसआईईएसटी ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत हैं तो आप लॉगइन क्रेडेंसियल्स का प्रयोग करके लॉगइन-मायईएसी से https://www.cdslindia.com पर लॉग-इन कर सकते हैं। सीडीएसएल की ईएएसआई/ईएएसआईईएसटी ई-सेवाएं पर एक बार सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें तथा इलेक्टॉनिक रूप से सीधे अपने मतदान प्रक्रिया करें।

vi. आगे प्रदर्शित हो रहे इमेज सत्यापन को प्रविष्ट करें तथा लॉगइन पर क्लिक करें।

vii. यदि आपके पास शेयर डीमेट फॉर्म में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान किया है तो अपना वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।

viii. यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए कदमों का अनुसरण करेः

	भौतिक रूप तथा अभौतिक रूप (डीमेट) में शेयरधारकों हेतु
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यू मेरिक*पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) • ऐसे सदस्य जिन्होनें अपना पैन, कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (डीओबी)	लॉगइन के क्रम में, डीमेट खाते में या कंपनी के अभिलेख में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार अपना लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (तिथि/माह/वर्ष के प्रारूप में) प्रविष्ट करें। • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास अभिलेखित नहीं है तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फिल्ड में सदस्य संख्या आईडी/फोलियो नंबर जैसा कि निर्देश (v) में उल्लिखित है, प्रविष्ट करें।